In the Court of the District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/268/2025

STATE OF U.P. Vs. Hari Singh & Anr.

C H A R G E

मैं, नरेन्द्र कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण हरी सिंह पुत्र स्व. राम दयाल सहरिया, व वीरू पुत्र स्व. राम दयाल सहरिया, निवासीगण ग्राम दारूतला, थाना मदनपुर, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1. यह कि घटना की दिनाँक 23.01.2025 को समय 4 से 7 बजे शाम के मध्य स्थान जंगल वह्द ग्राम दारुतला पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्री का गला दबाकर उसकी हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के गुप्तांग में लकड़ी से चोट कारित करके पीड़िता को शारीरिक क्षति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–24.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–24.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2025.03.24 16:30:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of the District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/268/2025

STATE OF U.P. Vs. Hari Singh & Anr.

24.03.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के साथ सामूहित दुष्कर्म किया गया तथा उसके गुप्तांग पर लकड़ी से क्षति कारित की गयी और गला दबाकर वादी की पुत्री की हत्या कारित की गयी है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5), 66, 70(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5), 66, 70(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–24.03.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।